

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक- 80644/सावधि जमा/2017-18

दिनांक:- 13-3-18

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश


बैंक द्वारा संचालित सावधि जमा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर प्रधान कार्यालय स्तर से दिशा-निर्देश शाखाओं को निर्गत किये जाते रहे हैं। संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय से धनमॉग के पत्रानुसार सावधि जमा के भुगतान हेतु प्राप्त धनराशि का उपयोग सावधि जमा के भुगतान के मद में न कर कतिपय धनराशि का उपयोग अन्य मदों में किया जा रहा है, जो घोर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

: प्रारूप :

(धनराशि लाख में)

क्रम सं०	शाखा का नाम	शाखा पर दि० 01.04.2017 से 28.02.2018 तक कुल सावधि जमा धनराशि	प्र०का० से सावधि जमा के भुगतान हेतु कुल धनमॉग की धनराशि	सावधि जमा भुगतान हेतु प्रधान कार्यालय से शाखा को प्राप्त कुल धनराशि	सावधि जमा में किये गये भुगतान का विवरण			अन्य विवरण
					प्रधान कार्यालय से प्राप्त धनराशि से	शाखा की वसूली धनराशि से	कुल योग	

अतः समस्त शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1.04.2017 से 28.02.2018 तक की सूचना उक्त प्रारूप पर जनपदीय शाखा को दिनांक 15.03.2018 तक भेजना सुनिश्चित करें। जनपदीय शाखाएँ मण्डलीय शाखा को प्रत्येक दशा में जनपद की संकलित सूचना दिनांक 16.03.2018 तक तथा मण्डलीय शाखा मण्डल की संकलित सूचना सावधि जमा अनुभाग की मेल आई डी upsgvbfddidle@gmail.com पर दिनांक 17.03.2018 तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


13/03/18
(के०बी० लाल)

सहा०महाप्रबन्धक(सावधि जमा)

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1.समस्त जनपदीय शाखा प्रबन्धक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रारूप पर जनपद की संकलित सूचना निर्धारित अवधि में मण्डलीय शाखा को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2.समस्त मण्डलीय शाखा प्रबन्धक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपदीय शाखाओं से प्राप्त सूचना संकलित कर दिनांक 17.03.2018 को प्रधान कार्यालय की मेल आई डी upsgvbfddidle@gmail.com पर प्रेषित करें।
- 3.समस्त मण्डल प्रयवेक्षकों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचनाएं निर्धारित तिथि पर भेजने हेतु अपने स्तर से भी अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
- 4.निजी सचिव(प्रबन्ध निदेशक) उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि० के द्वारा प्रबन्ध निदेशक महोदय को अवलोकनार्थ।
- 5.उपमहाप्रबन्धक (आई०टी० सेल) को इस आशय से प्रेषित कि बैंक की समस्त शाखाओं को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने का कष्ट करें।

सहा०महाप्रबन्धक(सावधि जमा)